अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय (गैंगस्टर एक्ट), कक्ष संख्या–4,अलीगढ़।
सत्र परीक्षण संख्या–118/2011
राज्य ———— बनाम ———— मंगल व अन्य

दिनांक 03–10–2024

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त मंगल व ज्ञानदेवी मय विद्वान अधिवक्ता हाजिर आये।

अभियुक्त भगवानदास जेल से तलब होकर पेश नहीं किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली विगत कई तिथियों से अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। वादी मुकदमा संतोष कुमार पुत्र हर प्रसाद निवासी सी/ए–66 श्याम कालोनी, बुद्धविहार फेज–2 दिल्ली तथा वादी का पता नगाल सीर थाना दादों जिला अलीगढ़ के बावत ग्राम वासी राजेन्द्र सिंह, सत्यपाल सिंह, सुनील कुमार आदि द्वारा जारी प्रमाण पत्र कि वादी अपने पैतृक निवास नगला सीर से अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति को बेचकर कहीं चला गया है। इसी प्रकार साक्षी के दिल्ली के पते के बावत भी थाना द्वारा यह आख्या प्रस्तुत की गई है कि साक्षी दिये गये पते पर निवास नहीं करता है। जिससे वादी मुकदमा मामले में परीक्षित नहीं हो पा रहा है। मामला धारा–302 भा0द0सं0 से सम्बन्धित है। वादी मुकदमा के परीक्षित न होने से उसके द्वारा प्रस्तुत तहरीर साबित नहीं है। **ऐसी दशा में मामले के समस्त तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए वादी मुकदमा के नाम का प्रकाशन राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु अभियोजन को आदेशित किया जाता है कि वह वादी मुकदमा के सम्पूर्ण विवरण के साथ साक्षी के रूप में न्यायालय में उपस्थित होने हेतु राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराना सुनिश्चित करे।**

मामले के अन्य साक्षीगण जरिये गैर जमानतीय अधिपत्र नियत तिथि के लिये तलब हों।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 16–10–2024 को पेश हो।

जेल में निरूद्ध कथित अभियुक्त भगवानदास नियत तिथि के लिये नियमानुसार तलब हो।

(संजय कुमार यादव–प्रथम)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (गैगस्टर एक्ट),
कक्ष संख्या–04, अलीगढ

Digitally signed by SANJAY KUMAR YADAV
Date: 2024.10.03 16:48:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court